



अनुसंधान प्रश्न

“भारत में कानूनी वारिस प्रमाणपत्र और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र में क्या अंतर है, मृतक के बैंक खातों, संपत्ति और निवेश के लिए कौन सा कब जरूरी होता है, और इन्हें पाने की प्रक्रिया और समयसीमा क्या है?”

विधिक रिसर्च मेमो

विषय-सूची

I. मेमो

2

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. मेमो

अनुसंधान मेमो (Research Memo): कानूनी वारिस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate) बनाम उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate)

१. मुख्य सारांश (TL;DR)

- कानूनी वारिस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate - LHC):** यह मुख्य रूप से स्थानीय राजस्व अधिकारियों (जैसे तहसीलदार) द्वारा जारी किया जाता है। इसका उपयोग मृतक के साथ पारिवारिक संबंधों को स्थापित करने और पारिवारिक लाभों (पेंशन, बीमा, पीएफ, अनुकंपा पर नौकरी) का दावा करने के लिए किया जाता है।
- उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate - SC):** यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (Indian Succession Act, 1925) के तहत एक दीवानी न्यायालय (Civil Court) द्वारा जारी किया जाता है। यह मृतक के ऋणों (debts) और प्रतिभूतियों (securities - जैसे बैंक खाते, शेयर, म्यूचुअल फंड, सावधि जमा आदि) को वसूलने और हस्तांतरित करने के लिए अनिवार्य विधिक दस्तावेज है।
- अचल संपत्ति के लिए:** कानूनन, अचल संपत्ति (मकान, भूमि) के हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकता (यह केवल ऋणों और प्रतिभूतियों के लिए है)। अचल संपत्ति के मामलों में वसीयत (Will) के प्रोबेट (Probate), प्रशासन पत्र (Letters of Administration) या पंजीकृत विभाजन/हस्तांतरण विलेख की आवश्यकता होती है, जिसमें LHC सहायक दस्तावेज बनता है।

२. कानूनी विश्लेषण और दोनों में तुलनात्मक अंतर

भारतीय कानून के तहत इन दोनों प्रमाणपत्रों की कानूनी प्रकृति, क्षेत्राधिकार, जारीकर्ता और उपयोग में मौलिक अंतर हैं, जिन्हें नीचे स्पष्ट किया गया है:

मानदंड	कानूनी वारिस प्रमाणपत्र (LHC)	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (SC)
कानूनी वैधानिकता	यह एक प्रशासनिक दस्तावेज है। न्यायालय इसे मालिकाना हक (Title) या उत्तराधिकार का अकाट्य प्रमाण नहीं मानता।	यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के तहत जारी एक न्यायिक दस्तावेज है, जो उत्तराधिकार के लिए ठोस कानूनी साक्ष्य है।
जारी करने वाला प्राधिकारी	तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट, या राजस्व विभाग के अधिकारी।	सक्षम दीवानी न्यायालय (Civil Court) या जिला न्यायाधीश।
प्राथमिक उद्देश्य	मृतक के जीवित सदस्यों (Class-I या Class-II) के साथ संबंध स्थापित करना।	मृतक के ऋण (debts) और प्रतिभूतियों (securities) को वसूलने का अधिकार देना।
लागू संपत्ति का प्रकार	सरकारी लाभ, अनुकंपा रोजगार, पेंशन, भविष्य निधि (PF), और सामान्य पहचान।	बैंक खाते, शेयर, म्यूचुअल फंड, सरकारी प्रतिभूतियां, बीमा दावे और अन्य वित्तीय निवेश।
प्रक्रिया	त्वरित प्रशासनिक जांच और राजस्व रिपोर्ट।	न्यायिक प्रक्रिया, साक्ष्य प्रस्तुतिकरण, और समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना।

२.१ ऋण और प्रतिभूतियाँ (DEBTS AND SECURITIES): बैंक खाते, शेयर और निवेश

- न्यायालय का रुख:** *Sunita v. Union of India* (2024) और *Khaja Zahuruddin v. Under Secretary* (2010) में अदालतों ने स्पष्ट किया है कि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का एकमात्र प्राथमिक उद्देश्य देनदारों (जैसे बैंक या वित्तीय संस्थान) को संरक्षण प्रदान करना है। धारा 381 के तहत, यदि कोई बैंक इस प्रमाणपत्र के धारक को भुगतान करता है, तो उसे पूर्ण विधिक संरक्षण (Indemnity) मिलता है।
- अपवाद (बैंक खातों में नामांकन):** यदि मृतक के बैंक खातों या निवेशों में कोई वैध 'नामांकित व्यक्ति' (Nominee) है, तो बैंक बिना उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के राशि जारी कर सकते हैं। *Jhunu Choudhury v. Bank of India* (2021) में माना गया कि यदि कोई प्रतिद्वंद्वी दावा (rival claim) नहीं है और क्षतिपूर्ति बांड (Indemnity Bond) जमा किया गया है, तो बैंक को बिना SC के भी राशि जारी करनी चाहिए।

२.२ अचल संपत्ति (IMMOVABLE PROPERTY)

- न्यायालय का रुख:** *Smt. Anjana v. KIADB* (2024) में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 370 के तहत **उत्तराधिकार प्रमाणपत्र केवल चल संपत्ति (ऋण और प्रतिभूतियों) के लिए ही जारी किया जा सकता है, अचल संपत्ति के लिए नहीं।** अचल संपत्ति के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए वसीयतनामा, प्रोबेट या सक्षम न्यायालय से सिविल डिक्ली की आवश्यकता होती है।

३. महत्वपूर्ण निर्णय और कानूनी सिद्धांत (Table of Authorities)

केस का नाम और साइटेशन	न्यायालय	मुख्य कानूनी सिद्धांत (HOLDING)
<i>Sunita v. Union of India</i> (W.P.(C) 1031/2024)	दिल्ली उच्च न्यायालय	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का उद्देश्य केवल ऋण और प्रतिभूतियों के संग्रह को सुगम बनाना और भुगतानकर्ता को सुरक्षा प्रदान करना है। यह अंतिम स्वामित्व तय नहीं करता।
<i>Smt. Anjana v. KIADB</i> (WP 14730/2017)	कर्नाटक उच्च न्यायालय	धारा 370 केवल वित्तीय प्रतिभूतियों पर लागू होती है। अचल संपत्ति (जैसे प्लॉट या मकान) के हस्तांतरण के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र मांगना गैर-कानूनी है।
<i>Khaja Zahuruddin v. Under Secretary</i> (WP 27934/2009)	तेलंगाना उच्च न्यायालय	अचल संपत्ति के मामलों में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की कोई कानूनी प्रासंगिकता नहीं है। यह कानूनन केवल चल ऋणों/प्रतिभूतियों तक सीमित है।
<i>Jhunu Choudhury v. Bank of India</i> (WP(C) 15491/2021)	उड़ीसा उच्च न्यायालय	यदि उत्तराधिकारियों के बीच कोई विवाद नहीं है और बैंक के पास नामांकन या अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध है, तो बैंक को अनावश्यक रूप से SC के लिए दबाव नहीं बनाना चाहिए।
<i>Joginder Pal v. Indian Red Cross Society</i> (2000 INSC 470)	सुप्रीम कोर्ट	उत्तराधिकार प्रमाणपत्र की कार्यवाही सारांश प्रकृति (summary in nature) की होती है। यदि बाद में कोई स्वत्व (title) का दीवानी मुकदमा दायर होता है, तो SC का निर्णय उस पर रोक (Res Judicata) नहीं लगाता।

४. आवेदन की प्रक्रिया और समयसीमा

४.१ कानूनी वारिस प्रमाणपत्र (LEGAL HEIR CERTIFICATE) प्राप्त करने की प्रक्रिया:

- आवेदन:** जिला ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या स्थानीय तहसील कार्यालय/राजस्व विभाग में ऑफलाइन आवेदन करें।
- आवश्यक दस्तावेज:** * मृतक का मूल मृत्यु प्रमाणपत्र (Death Certificate)। * आवेदक और सभी कानूनी वारिसों के पहचान पत्र (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र)। * परिवार के सदस्यों के संबंधों को दर्शाने वाला पारिवारिक शपथ पत्र (Affidavit)। * पते का प्रमाण (राशन कार्ड या बिजली बिल)।
- जांच प्रक्रिया:** तहसीलदार आवेदन को ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (VAO) या राजस्व निरीक्षक (RI) को भेजता है। वे स्थानीय जांच और पड़ोसियों से पूछताछ करके अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं।
- समयसीमा:** सामान्यतः १५ से ३० कार्य दिवस।

४.२ उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (SUCCESSION CERTIFICATE) प्राप्त करने की प्रक्रिया (धारा ३७२ के तहत):

- याचिका दायर करना:** मृतक के अंतिम निवास स्थान या उसकी संपत्ति के क्षेत्राधिकार वाले दीवानी न्यायालय (Civil Court) में याचिका दायर की जाती है।
- याचिका की सामग्री:** याचिका में मृत्यु का समय, वारिसों के नाम-पते, आवेदक का अधिकार और उन विशिष्ट ऋणों/प्रतिभूतियों (बैंक खाता संख्या, शेयर आदि) का पूरा विवरण होना चाहिए जिसके लिए प्रमाणपत्र चाहिए।
- न्यायालय द्वारा नोटिस और प्रकाशन:** न्यायालय याचिका स्वीकार करने के बाद एक स्थानीय समाचार पत्र में सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराता है, ताकि यदि किसी को आपत्ति हो तो वे ४५ दिनों के भीतर अदालत में आ सकें।

4. **सुनवाई और आदेश:** यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो न्यायालय सारांश प्रक्रिया (summary inquiry) चलाकर आवेदक के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश देता है।
5. **अदालत शुल्क (Court Fees):** उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के लिए संपत्ति के कुल मूल्य के एक निश्चित प्रतिशत (आमतौर पर २% से ३%, राज्य के अनुसार अलग-अलग) के बराबर कोर्ट फीस स्टाम्प ड्यूटी के रूप में चुकानी होती है।
6. **समयसीमा:** न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक नोटिस की अवधि के कारण इसमें **५ से ८ महीने** का समय लग सकता है। विवाद होने पर यह अवधि बढ़ सकती है।

अ स्वी क र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।